chedule XLII-High Court (J) 19[old

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 7/20 सी.आई.एस.क्र.– 7/20

अशोक कुमार चौधरी बनाम देबु शर्मा एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
14/02/25	वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ए, बी, 3, 11, 13 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। अन्य प्रतिवादी की कोई पैरवी नहीं है। यह वाद वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 दिवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 14.08.24 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा समर्पित किया गया है कि टंकक के त्रुटि के कारण वादपत्र में निम्नलिखित संशोधन करना आवश्यक है – 1. वादपत्र के पैरा नं0 5 के चौथे पंक्ति में दिनांक 18.06.1960 विलोपित कर उसके स्थान पर 08.08.1969, पैरा 6 के चौथी लाइन में 07.03.1975 विलोपित कर उसके स्थान पर 13.03.75 एवं पैरा 7 के चौथे पंक्ति में 30.02.1983 को विलोपित कर उसके स्थान पर 30. 11.1983 जोड़ा जाए। 2. पैरा 10 के बाद पैरा 10 ए " That defendant first party.... second party " जोड़ा जाए। 3. पैरा 12 दूसरे पंक्ति में Court fee शब्द के बाद और and hence के पूर्व शब्द But ..... Partition को विलोपित कर Relief ..... 500/– जोड़ा जाए तथा इसी पैरा के Payment of शब्द के बाद और Court शब्द के पूर्व Fixed को विलोपित कर एडवोलरम जोड़ा जाए। 4. अनुतोष 1 Right ..... Land जोड़ा जाए तथा पूर्व के अनुतोष 1 को 1 ए कर इस अनुतोष में That को विलोपित कर After the above declaration जोड़ा जाए तथा इसी पंक्ति के डिक्री के बाद और 41½ के बीच में Partition of जोड़ा जाए। 5. अनुतोष 3 के रूप में The Plantiff..... Commissioner तथा अनुतोष 4 के रूप में A decree ..... way जोड़ा जाए तथा पूर्व के अनुतोष 3 एवं 4 को संशोधित कर 5 एवं 6 कर दिया जाए। उक्त सभी संशोधन सामान्य प्रकृति का है तथा उससे वाद के प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पर नहीं है। अतः निवेदन है कि उक्त संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रतिवादी संख्या 1 ए, बी, 8, 11 से 14 एवं 16 की ओर से प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति किया गया है कि वादी के द्वारा यह आवेदन परेशान करने के उद्देश्य से लाया गया है। वादी के द्वारा पूर्व में पक्षकार बनाए जाने, अस्थाई व्यादेश एवं वादभूमि के भौतिक जांच हेतु आवेदन दिया गया है। तत्पश्चात् वादी के द्वारा वाद में विलम्ब करने के उद्देश्य से चार वर्ष के बाद के संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। वादी के द्वारा यह वाद बटवारा हेतु लाया गया है जिसकारण से इस संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित हो जाएगी। अतः वादी का उक्त आवेदन विधि के अंतर्गत पोषणिय न होने से खारिज किये जाने योग्य है। अन्य प्रतिवादी के द्वारा न तो प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही सुनवाई में उपस्थित हुए।	

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा यह वाद अनुसूचि ए में वर्णित भूमि के विभाजन हेतु लाया गया है तथा वादी के द्वारा अनुसूचि बी में वर्णित भूमि को स्वयं के द्वारा खरीद किया अभिकथित किया गया है। वादी के द्वारा यह संशोधन आवेदन वाद दाखिल किये जाने के चार वर्ष बाद लाया गया है तथा इस वाद में प्रतिवादीगण की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत किया गया है। इस वाद में वादपद का गठन अभी नहीं हुआ है तथा उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं हो रही है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त संशोधन आवेदन को पांच सौ रूपये खर्च पर स्वीकृत किया जाता है। खर्चा वादी को देय होगा। वादी नियत समय में उक्त संशोधन करें।

वाद आगामी दिनांक 11.03.25 सुनवाई हेतु नियत।

हस्ताक्षर

अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि
बनमनखी